न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, हरिद्वार।
मूल वाद संख्याः 179/2022
कम्प्यूटर संख्या– 173/2022
दयाराम बनाम नीटू आदि।

दिनांक– 18.03.2024

वाद पुकारा गया, पत्रावली पेश हुई। वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार चौहान उपस्थित। पत्रावली आज वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज सं0 46ग2 अंतर्गत आदेश IV-A व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं0 46ग2 अंतर्गत आदेश IV-A व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में सम्मिलित प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बंध में माननीय न्यायालय में एक अन्य वाद सं0 175/2022 मनोज आदि बनाम दयाराम आदि विचाराधीन चला आता है जिसमें भी प्रश्नगत सम्पत्ति व पक्षकार समान है तथा जो अनुतोष चाहा गया है वह भी समान है। इस कारण दोनों को एकजाई किया जाकर मूलवाद सं0 175/2022, मनोज आदि बनाम दयाराम आदि की पत्रावली को लीडिंग फाईल बनाया जाकर सुनवाई की जानी आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

2. प्रार्थना–पत्र पर वादी द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सिविल जज जूनियर डिवीजन, हरिद्वार।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा हस्तगत वाद शाश्वत व्यादेश के अनुतोष हेतु योजित किया गया है तथा यह अनुतोष मांगा गया है कि प्रतिवादीगण प्रश्नगत सम्पत्ति पर वादी के कब्जे एवं इस्तेमाल में कोई हस्तक्षेप प्रत्य क्ष का परोक्ष रूप से न तो करे और न करावे और न ही कोई निर्माण करे न करावे।

5. वही मूलवाद सं0 175/2022 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद मनोज, नंद किशोर व श्रीमती सुखबीरी द्वारा हस्तगत वाद के प्रतिवादी दयाराम तथा अन्य प्रतिवादीगण गुलशेर, मासूम अली, इकराम, अशरफ, फुरकान, हसतर व अंजेश को पक्षकार बनाकर शाश्वत व्यादेश के अनुतोष हेतु योजित किया गया था। उक्त वाद की वादग्रस्त सम्पत्ति एक किता भूमिखण्ड जिसमें मकान व दुकानात बनी है जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शानजरी में अक्षर ए0बी0सी0डी0 से दर्शित किया गया है जिसके पश्चिम में हरिद्वार लक्सर मुख्य मार्ग, दक्षिण में भूमि खसरा सं0 289/1 शौकत आदि, पूरब में सम्पत्ति नफीस आदि व उत्तर में सम्पत्ति कालू हसन स्थित ग्राम मौहम्मदपुर कुन्हारी परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार है तथा हस्तगत वाद की वादग्रस्त सम्पत्ति खसरा सं0 289/1 क्षेत्रफल 0.2250 है0 में से 0.1020 है0 स्थित ग्राम मौहम्मदपुर कुन्हारी परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शानजरी में अक्षर ए0बी0ई0एफ0 से दर्शाया गया है उक्त वर्णित क्षेत्रफल 0.1020 है0 के उत्तर में भूमि कालू हसन, दक्षिण में शेष सम्पत्ति खसरा सं0 289/1 पूरब में भूमि नफीस व पश्चिम में हरिद्वार लक्सर रोड ग्राम मौहम्मदपुर कन्हारी परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार है।

6. हस्तगत वाद तथा उपरोक्त उल्लेखित वाद सं0 175/2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त उल्लेखित दोनों वादों में वादग्रस्त सम्पत्ति खसरा सं0 289/1 क्षेत्रफल 0.2250 है0 में से 0.1020 है0 स्थित ग्राम मौहम्मदपुर कुन्हारी परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शानजरी में अक्षर ए0बी0ई0एफ0 से दर्शाया गया है उक्त वर्णित क्षेत्रफल 0.1020 है0 के उत्तर में भूमि कालू हसन, दक्षिण में शेष सम्पत्ति खसरा सं0 289/1 पूरब

में भूमि नफीस व पश्चिम में हरिद्वार लक्सर रोड ग्राम मौहम्मदपुर कन्हारी परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के परिपेक्ष्य में शाश्वत व्यादेश के अनुतोष की याचना की गयी है। अर्थात, उक्त दोनों वादों की वादग्रस्त सम्पत्ति तथा उसके परिपेक्ष्य में याचित अनुतोष समान है, जिसका यह अर्थ है कि उपरोक्त दोनों वादो की विषय–वस्तु (शाश्वत व्यादेश) के अनुतोष समान है। जहां तक अन्य पक्षकारों का प्रश्न है, पक्षकार समान नही है।

7. ऐसे में सिविल प्रकिया संहिता आदेश IV A में यह प्रावधानित है कि

Consolidation of suits and proceedings.

When two or more suits or proceedings are pending in the same Court, and the Court is of opinion that it is expedient in the interest of justice, it may by order direct their joint trial, where upon all such suits and proceedings may be decided upon the evidence in all or any of such suits or proceedings.

8. उक्त प्रावधान के आलोक में यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर एक ही न्यायालय में दो या दो से अधिक वाद लम्बित है तथा न्यायालय के मत में उक्त दोनों वादों को, न्यायहित में समेकित कर उनका विचारण एक साथ किया जाना अनिवार्य है, उस परिस्थिति में ऐसे सम्बंधित वादों को समेकित किया जा सकता है।

9. यह अवलोकनीय है कि आदेश IV-A सिविल प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा, 1976 में जोड़ा गया था तथा उक्त प्रावधान, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के आलोक में उत्तराखण्ड में लागू होता है। उक्त उल्लेखित आदेश IV-A सिविल प्रक्रिया संहिता में अनिवार्यता मात्र यह है कि दो या

दो से अधिक वाद, एक ही न्यायालय में लम्बित है। उक्त आदेश में यह अनिवार्यता नही है कि उपरोक्त उल्लेखित वाद में पक्षकार समान हो।

10. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IV-A सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उन वादों को समेकित किया जा सकता है, जिनको समेकित किया जाना न्यायालय के मत में, वाद के न्यायसंगत निस्तारण हेतु अनिवार्य है। उक्त न्यायसंगत निस्तारण के परिपेक्ष्य में यह अवलोकनीय है कि हस्तगत वाद तथा वाद सं0 175/2022 समान विषय–वस्तु (शाश्वत व्यादेश) के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। अर्थात, हस्तगत वाद तथा उपरोक्त उल्लेखित वाद सं0 175/2022 में, उक्त दोनों वाद में शाश्वत व्यादेश का अनुतोष दिया जाना है।

11. यह अवलोकनीय है कि अगर उक्त लम्बित दोनों वादों को निर्णीत कर डिक्री किया जाता है, तो उससे स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी निर्णय पारित किये जाएगे, जिससे पक्षकारों के मध्य न तो विवाद समाप्त होगा तथा न ही उक्त विरोधाभासी निर्णय निष्पादन योग्य होगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय–निर्णय **Aspi Jal And Anr vs Khushroo Rustom Dadyburjor on 5 April, 2013 (4) SCC 313** में यह अवधारित किया गया है कि धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, पचातवर्ती योजित वाद इस परीक्षण के आधार पर स्थगित किये जाने योग्य होगा कि अगर दोनों वादों में निर्णय पारित किया जाता है, तो क्या उक्त वादों में पारित निर्णय एक साथ अस्तित्व में रह सकता है अथवा नही।

12. यह अवलोकनीय है कि उक्त न्याय–निर्णय धारा 10, सिविल प्रक्रिया संहिता के आलोक में पारित किया गया है, परन्तु उक्त न्याय–निर्णय में उल्लेखित विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्त, आदेश IV-A सिविल प्रक्रिया संहिता पर लागू होता है।

सिविल जज जूनियर डिवीजन, हरिद्वार।

13. यह भी अवलोकनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्याय–निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 10, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पश्चातवर्ती योजित वाद को स्थगित करने के स्थान पर, दोनों वादों को समेकित कर एक साथ सुनवाई किया जाना ज्यादा उचित होगा। उक्त विधि व्यवस्था, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड को छोड़कर अन्य राज्यों में लागू होती है, क्योकि उत्तराखण्ड राज्य में आदेश IV-A सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होते है। ऐसे में धारा 10, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण में वादों को समेकित करने के विकल्प के परिपेक्ष्य में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 10, सिविल प्रक्रिया संहिता को लागू करने हेतु जिस परीक्षण के सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय–निर्णय **Aspi Jal And Anr vs Khushroo Rustom Dadyburjor on 5 April, 2013 (4) SCC 313** में प्रतिपादित किया है, उस परीक्षण के सिद्धांत आदेश IV-A, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण हेतु लागू किया जा सकता है।

14. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हस्तगत वाद तथा मूलवाद सं0 175/2022 में विषय–वस्तु समान होने के कारण तथा उक्त दोनों वादों में निर्णय की असमानता से बचने हेतु, न्यायालय का यह मत है कि उक्त दोनों वादों को न्यायहित में समेकित किया जाना उचित तथा अनिवार्य है। आदेश तदानुसार,

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज सं0 46ग2 स्वीकार किया जाता है। हस्तगत वाद तथा मूलवाद सं0 175/2022 मनोज कुमार बनाम दयाराम आदि को समेकित किया जाता है तथा मूलवाद सं0 175/2022, मनोज कुमार बनाम दयाराम आदि की पत्रावली को लीडिंग पत्रावली बनाया जाता है।

सिविल जज जूनियर डिवीजन, हरिद्वार।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26.03.2024 को प्रस्तुत की जाये। आदेश की एक प्रति समेकित मूलवाद सं0 179/2022 की पत्रावली पर लगायी जाये।

(विवेक सिंह राणा)
सिविल जज जूनियर डिवीजन, हरिद्वार

सिविल जज जूनियर डिवीजन, हरिद्वार।